मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक एफ 5/2/2006/10–3 भोपाल,दिनांक 21 अगस्त 2006

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी,

मध्यप्रदेश

विषयः **वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग में वन भूमि के व्यपवर्तन के अधिकार सौपने विषयक।**

1/ भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने ज्ञाप कमांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 3.1.2005 के द्वारा कुछ प्रकरणों में, यदि वन भूमि का व्यपवर्तन 1 हैक्टेयर से कम हो, वन भूमि के व्यपवर्तन के अधिकार राज्य शासन को सौंप दिये है। राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न कार्यो के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के अधिकार, क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारियों को प्रत्यायोजित करता है:–

1.1 स्कूल,

1.2 चिकित्सालय/अस्पताल

1.3 विद्युत एवं संचार लाईन

1.4 पीने के पानी की व्यवस्था

1.5 वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर

1.6 छोटी सिंचाई नहरें

1.7 गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत

1.8 कुशलता उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र

1.9 विद्युत सब स्टेशन

1.10 संचार पोस्ट

1.11 गृह मंत्रालय, भारत शासन द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन/आउटपोस्ट/वाच टावर इत्यादि

2/ उपरोक्त प्रकरणों में स्वीकृति निम्न शर्तो की पूर्ति के आधार पर ही दी जायेगी:

1– प्रत्येक प्रकरण में वन भूमि का व्यपवर्तन 1 हैक्टेयर से कम होना चाहिए।

2– उपरोक्त विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृति इसी शर्त पर दी जायेगी कि उन विकास कार्यो की आवश्यकता वहां पर हो।

3– व्यपवर्तित की गयी भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

4– आवेदनकर्ता विभाग क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को निर्धारित प्रपत्रों में वन संरक्षण नियम 2003 की अपेक्षानुसार आवेदन प्रस्तुत करेगा।

5– संबंधित प्रकरण में प्रति हैक्टेयर 50 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जायेंगे। यदि व्यपवर्तित क्षेत्र 1 हैक्टेयर से कम हो तो काटे जाने वाले वृक्षों की अधिकतम संख्या समानुपातिक रहेगी।

6– परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य अथवा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हो।

7– संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर प्रमाणीकरण करने के उपरांत ही अनुमति देंगे जिसमें वन भूमि का व्यपवर्तन 1 हैक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

8– क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति जारी करने के पूर्व क्षेत्रीय वन संरक्षक से सहमति प्राप्त करेंगे जिन्हें इस कार्यो हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हैं। आदेश की प्रति संलग्न हैं।

9– इस प्रकार स्वीकृत समस्त प्रकरणों की माहवार जानकारी अगले माह की 1 तारीख तक मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध को भेजी जायेंगी जो कि उस माह की 5 तारीख तक केन्द्रीय मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10– आवेदनकर्ता विभाग वन विभाग द्वारा चिन्हित की गयी भूमि पर व्यपवर्तित वन भूमि में काटे गये वृक्षों की संख्या से दुगने वृक्ष लगायेंगे ताकि क्षेत्र हरा–भरा रहे। प्राथमिकता परियोजना स्थल के आसपास के क्षेत्रो को ही दी जायेगी तथा केवल स्थानीय वन प्रजाति के पौधे रोपित किये जायेंगे। व्यपवर्तित भूमि पर लगाये गये वृक्ष वन विभाग की अनुमति के बिना नहीं काटे जायेंगे। जो वृक्ष वन क्षेत्र के अन्यत्र लगाये जायेंगे वे भी वन विभाग की सम्पत्ति रहेंगे।

11– आवेदनकर्ता विभाग व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारो ओर क्षेत्र में वन्य पशु/वृक्षों को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेंगे तथा उनका संरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय भी करेंगे।

12– जिन प्रकरणों में राज्य शासन, वन विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 5–16/2000/10–3, दिनांक 12.10.2005 तथा ज्ञाप कमांक एफ 5–16/2000/10–3, दिनांक 19.1.2006 के द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की वसूली से मुक्त रखे गये हैं, उन ज्ञापों में दर्शायी शर्तो के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की वसूली नहीं की जायेगी तथा शेष प्रकरणों में नेट प्रजेन्ट वैल्यू की वसूली राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ली जायेगी। शासन के उक्त दोनो ज्ञाप की छायाप्रतियां संलग्न है।

13– ऐसे वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन अनुश्रवण कर सकेंगे।

14– पैरा–1 में उल्लेखित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य किसी गतिविधि के लिए वन भूमि का व्यपवर्तन नहीं किया जायेगा।

आवेदनकर्ता विभाग को स्वीकृति जारी करने के पूर्व यह वचनपत्र लिया जायेगा कि यदि नेट प्रजेन्ट वैल्यू की वसूली बाबत राज्य शासन द्वारा भविष्य में कोई आदेश जारी किया जाता है, तो आवेदनकर्ता विभाग उसके भुगतान के लिए बाध्य रहेंगे।

16– आवेदनकर्ता विभाग से यह भी वचनपत्र लिया जायेगा यदि वन संरक्षण की दृष्टि से भविष्य में कोई शर्त लगायी जाती है तो उन्हें मानने के लिए वे बाध्य होंगे।

उपरोक्त प्रकरणों में स्वीकृति देने के अधिकार केवल दिनांक 31.12.2006 तक के लिए दिया जा रहा है उसके पश्चात यदि अधिकार को जारी रखा जाना होगा तो पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि वन क्षेत्र से गुजर रहे दिनांक 25.10.1980 के पूर्व कच्चे मार्गो को पक्का करने बाबत् अधिकार, जो कि म.प्र.शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक/ 5/6/2005/10–3 दिनांक 17.5.2005 द्वारा प्रत्यायोजित गिए गये हैं, यथावत रहेगें।

o/c (रतन पुरवार)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क0एफ 5–2/20006/10–3 भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2006

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल संसाधन वि[illegible]ग/तकनीकी शिक्षा विभाग/गृह विभाग
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
3. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
4. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

o/c सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग